फर्द अहकाम

भगवान सहाय उर्फ बनाम कालूराम
शामिल

41/2017

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28/12/23	वकिलों द्वारा आज कलमबंद/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली मय आज्ञानुसार दिनांक 16/02/24 को पेश हो।	
16/2/24	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28/2/24 को पेश हो।	
28/2/24	[illegible] रिपोर्ट पेश हुई। पत्रावली वास्ते अवलोकन एवं आदेश दिनांक 01/03/24 को पेश हो।	
01/03/24	[illegible] पत्रावली एवं [illegible] एवं रिपोर्ट TDR [illegible] का अवलोकन किया गया। [illegible] पत्रावली में वादी का वाद अस्वीकार [illegible] किया जाता है। [illegible] [illegible] [illegible] जाकर शामिल मिसल किया जावे। डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] से [illegible] हो। [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.11 16:37:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–41/2017

उनवान

भगवानसहाय उर्फ रामसिंह पुत्र कन्हैयालाल, जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र कानाराम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
2. मालूराम पुत्र हनुमान सहाय, जाति अहीर, निवासी ग्राम चारणवास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. मुकेश कुमार पुत्र ग्यारसीलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. कैलाश पुत्र भागीरथ, जाति महाजन, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार चोमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 01.03.2024

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी ग्राम तिगरिया अन्तर्गत तहसील चौमूं, जिला जयपुर का निवासी है तथा इसी ग्राम में वादी की पुश्तैनी कब्जा काश्त व खातेदारी की कृषि भूमियां स्थित है जिनमें काश्त कर वादी अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। इन्हीं कृषि भूमियों में कृषि भूमि खसरा नम्बर 2410 रकबा 0.25 हैक्टेयर वादग्रस्त आराजीयात है। वादग्रस्त उक्त भूमि का एकमात्र काबिज खातेदार काश्तकार वादी पैतृक रुप से चला आ रहा है जिस भूमि से अन्य किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का सम्बन्ध अथवा सरोकार नहीं है। वादी की उपरोक्त वर्णित भूमि के पूर्व में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2409 रकबा 0.56 हैक्टेयर भूमि ग्राम के महाजन प्रतिवादी संख्या 4 की व परिवार की खातेदारी काश्त की भूमियां थी जिसमें से रकबा 0.40 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो क्रमशः तहसील शाहपुरा, जमवारामगढ व आमेर के निवासी हैं, को हस्तान्तरण की दी तथा इस भूमि का कागजों में विभाजन करवा लिया जिस कारण बट्टा नम्बर 240[illegible]9/2 व 2409/3 जमाबन्दी में अंकित कर दिए गये लेकिन भूमियों के मानचित्र में किसी [illegible] तरमीम नहीं की गई है। वादी की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2410 कच्ची डोल [illegible]वादी द्वारा सुरक्षित है तथा अनेकों साल से पेड पौधे लगे हुए है। जिसमें पडौस की भूमि के [illegible] खरीददार प्रतिवादीगण वादी की वादग्रस्त भूमि में जबरन वादी की भूमि की डोल को तोड फोडकर कब्जा करने की धमकी दे रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.11 16:37:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ताकि वादी हैरान परेशान होकर अपनी वादग्रस्त भूमि इन्ही प्रतिवादीगण को हस्तान्तरण कर दें। प्रतिवादीगण स्थानीय ग्राम के लोग नहीं है तथा भूमियों के व्यापारी है जो जबरन वादी की भूमियों में दखल करने पर आमादा है तथा आज करीब 10–15 दिन से वादी को फोन पर लगातार धमकियां दे रहे है कि वे वादी की सीमा पर स्थित डोल को जबरन तोड–फोड कर नष्ट कर देंगे तथा वादी के पेडों को काट देंगे और जमीन को अपनी जमीन में मिला लेंगे। वादी ने उन्हे खुब समझाने की कोशिश की कि वादी न तो अपनी भूमि वादग्रस्त बेचान चाहता है और ना ही वादी की भूमियों में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार ही दखल करनी चाहिए, जिस पर प्रतिवादीगण दिनांक 25.06.2017 को गाली गलौच करने लग गये तथा ऐलानियां धमकी दी कि वे जे0सी0बी0 मशीन से वादी की डोल को तोड–फोड कर व पेडों को नष्ट कर कब्जा कर लेंगे तथा धमकी दी कि प्रतिवादीगण का यह रोजाना का काम है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का भूमियों पर कब्जा करने का रोजाना का धन्धा है तथा उनसे जो भी मुकाबला करता है वह इस दुनिया में नहीं रहता । इस प्रकार प्रतिवादीगण की धमकी के कारण वादी को अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया।

वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्ध फरमाया जावें कि वे कृषि भूमि खसरा नम्बर 2410 रकबा 0.25 हैक्टेयर वाके ग्राम तिगरिया, अन्तर्गत तहसील चौमूं, जिला जयपुर में न तो प्रवेश करें, न अतिक्रमध्स करें, न डोल व तारबन्दी को तोड–फोड करें तथा न मौके की स्थिति को परिवर्तन करें और ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें तथा यथास्थिति बनाये रखें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। हमने प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजान का अवलोकन किया। वादी का वाद स्थाई निषाधाज्ञा का है। तहसीलदार चौमूं से सीमाज्ञान रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदान चौमूं की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की मृत्यु हो चुकी है तथा वादी के वारिसान सीमाज्ञान नहीं करवाना चाहते है। ऐसे में बिना सीमाज्ञान के स्थायी निषेधाज्ञा का वाद आगे नहीं चलाया जा सकता है। अतः वादी का वाद इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.11 16:37:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –: रतन कौर (R.A.S.)

उनवान

भगवानसहाय उर्फ रामसिंह पुत्र कन्हैयालाल, जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र कानाराम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
2. मालूराम पुत्र हनुमान सहाय, जाति अहीर, निवासी ग्राम चारणवास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. मुकेश कुमार पुत्र ग्यारसीलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. कैलाश पुत्र भागीरथ, जाति महाजन, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार चोमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषैधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः– 01.03.2024

मुकदमा नं0:–41/2017

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वाके ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2410 रकबा 0.25 हैक्टेयर में वादी का वाद तहसीलदान चौमूं की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की मृत्यु हो चुकी है तथा वादी के वारिसान सीमाज्ञान नहीं करवाना चाहते है। ऐसे में बिना सीमाज्ञान के स्थायी निषेधाज्ञा का वाद आगे नहीं चलाया जा सकता है। अतः वादी का वाद इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.11 16:37:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 01.03.2024 को जारी किया गया ।

मोहर

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)चौमूँ

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प 4.....रूपये पर प्लीडर कह फीस 5.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय 6.कमिशनर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	2 1	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 2.अर्जी के लिये स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय 5.कमिशनर की फीस 6.आदेशिका की तामिल	2
जोड	3	जोड	2

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.11 16:37:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner